

राजस्थान में शिक्षा : जमीनी स्थितियां एवं कुछ सुझाव

□ ओम श्रीवास्तव

इस लेख के आरंभ में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रयत्नों की प्रस्तुति है। लेख मुख्य रूप से प्रारंभिक एवं प्रौढ़ साक्षरता पर केन्द्रित है इसलिए आगे प्रारंभिक शिक्षा पर सरकारी व्यय का विश्लेषण है। साथ ही दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में शैक्षिक योजनाओं का आकलन करते हुए वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लिया गया है। अंत में प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक प्रसार संदर्भ में कुछ सुझाव दिये गये हैं।

राजस्थान में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में कई विशेष कदम उठाए हैं जिनके कारण सामाजिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। इन क्षेत्रों में व्यापक स्थितियों को समझने के लिए सरकार द्वारा तय की गई नीतियों का विश्लेषण करना होगा और साथ ही जमीनी स्थितियों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इन दोनों से ही कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं और परिवर्तन के लिए नई दिशाओं की खोज कर सकते हैं।

राजस्थान में सामान्य शिक्षा की स्थिति

राजस्थान में शिक्षा की स्थितियां समझने के लिए राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को भी सामने रखना होगा। यह भौगोलिक स्थिति पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इतनी भिन्नता लिए है कि इसका प्रभाव जहां एक ओर लोगों के जनजीवन पर पड़ता है वहाँ दूसरी ओर यह विकास को भी प्रभावित करता है। मारवाड़ का पूरा क्षेत्र रेगिस्टानी है जहां जनसंख्या काफी छितरी हुई है, इसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान का सारा क्षेत्र पहाड़ी है वहाँ पर भी रहवास की स्थितियां दूसरा स्वरूप लिए हुए हैं। (यह मालूम करना मुश्किल है कि गांव की सीमा किसको कहें)। इसी प्रकार मेवाती क्षेत्र में सामाजिक संदर्भ अपना प्रभाव जमाए हुए हैं एवं पूरे ही राजस्थान में गरीबों में स्त्री शिक्षा का प्रसार राज्य स्तरीय परिवर्तनों से भी जुड़ा हुआ है। शुरू में शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय थी, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में तो यह बहुत ही कम थी। 1949 में 3,195 स्कूल थे जो 1991 में 39,335 पर पहुंचे। इसी प्रकार लड़कियों की शिक्षा में भी परिवर्तन आया और 1985-86 से 1995-96 में नामांकन में 103 प्रतिशत वृद्धि हुई, यह इस स्थिति को बताता है कि शिक्षा में जो प्रयत्न हुए हैं वे काफी तेजी से हुए हैं, साक्षरता की स्थिति नीचे दी हुई तालिका से जानी जा सकती है जो राजस्थान की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है।

तालिका 1

राजस्थान में साक्षरता की स्थिति (1981, 1991, 2001) (प्रतिशत में)

वर्ष	कुल	महिला	पुरुष
1981	30.7	45.5	14.5
1991	38.6	55	20.4
अंतर	7.9	9.5	5.9
1991	38.6	55	20.4
2001	61.03	76	44
अंतर	22.43	21	23-6

1991 से 2001 के दौरान राजस्थान में साक्षरता दर में 22.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर 23.6 प्रतिशत रही लेकिन आज भी जहां पुरुष साक्षरता दर 76 प्रतिशत है वहाँ महिला साक्षरता दर केवल 44 प्रतिशत है। इस प्रकार अभी आधी से अधिक महिलाएं निरक्षर हैं।

एक बात और भी है कि शिक्षा की स्थिति को देखने के लिए विभिन्न जिलों की स्थितियों को भी जानना होगा। राजस्थान की मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार जिला आधारित स्तर में बहुत अन्तर है। 30 जिलों में से 21 जिलों में महिलाओं की साक्षरता 20 प्रतिशत से कम है और दो जिले बाड़मेर (7.7 प्रतिशत) और जालौर (7.8 प्रतिशत) में 10 प्रतिशत से भी कम है। इसी प्रकार रिपोर्ट में आगे यह भी मिलता है कि स्कूलों में 5 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन 1998-99 में 67 प्रतिशत था। इसमें से लड़कों का 85 प्रतिशत और लड़कियों का 48 प्रतिशत था (पेज नं. 46)। इस स्थिति से यह बात सामने आती है कि महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय व उच्चतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा विकास आदि को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा की स्थिति को नीतिगत संदर्भ में जानने के लिए सरकार द्वारा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। हमारी जानकारी के लिए, राजस्व व्यय में हम चालू व्यय को सम्मिलित करते हैं जिसमें वेतन, पुस्तकालय, खेल, साज सामान, छात्रवृत्ति आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित किया जाता है। सामान्य शिक्षा में इन सभी पर होने वाला राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय निम्न है जबकि पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत मुख्यतः भवन निर्माण व शौचालयों पर होने वाला व्यय सम्मिलित किया जाता है। (तालिका 2)

तालिका 2

सामान्य शिक्षा पर व्यय

	2000–01 वास्तविक व्यय	2001–02 संशोधित अनुमान	2002–03 बजट अनुमान	प्रतिशत अंश	वृद्धि(2000–01 से 2001–02)	वृद्धि प्रतिशत	वृद्धि (2001–02 से 2002–03)	वृद्धि प्रतिशत
राजस्व व्यय	3173.48	3395.26	3654.77	99.20%	221.78	7.00%	259.51	7.60%
पूँजीगत व्यय	43.5	33.29	29.88	0.80%	- 9.76	- 22.7 %	- 3.40	- 10.2%
कर्ज		0	0	0.00%	0		0	
कुल	3216.53	3428.55	3684.57		212.02	6.60%	256.02	7.50%

उपरोक्त तालिका 2 से स्पष्ट है कि सामान्य शिक्षा पर होने वाले राजस्व व्यय में 2000-01 से 2001-2 के दौरान 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी प्रकार 2001-02 से 2002-03 के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई। इससे यह तो स्पष्ट है कि सरकार सामान्य शिक्षा पर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान दे रही है। परन्तु जब हम सामान्य शिक्षा पर पूँजीगत व्यय को गहराई से देखते हैं तो इसमें 2000-01 से 2001-02 में 9.76 प्रतिशत तथा 2001-02 से 2002-03 में 22.7 प्रतिशत की कमी हुई है तथा 2002-03 में सामान्य शिक्षा पर पूँजीगत व्यय केवल 29.88 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जहां एक ओर छात्र संख्या में वृद्धि तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अधिक भवनों तथा शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं की आवश्यकता है, वहीं सरकार पिछले तीन वर्षों से लगातार पूँजीगत व्यय में कमी करती जा रही है।

यहां पर राज्य के कुल बजट को भी देखने की आवश्यकता है। राज्य द्वारा पिछले तीन वर्षों में बजट में शिक्षा की जो स्थिति

सामने आती है वह तालिका 3 में दर्शायी है।

यदि हम सरकार के कुल राजस्व व्यय में सामान्य शिक्षा का हिस्सा देखें तो यह तीन वर्षों में क्रमशः 21.10 प्रतिशत, 20.99 प्रतिशत तथा 20.06 प्रतिशत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल राजस्व व्यय में सामान्य शिक्षा पर होने वाला व्यय का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। (तालिका 4)

सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय का लगभग 99 प्रतिशत भाग शिक्षकों के वेतन, चिकित्सा व्यय, यात्रा व्यय, आदि पर खर्च हो जाता है तथा केवल 1 प्रतिशत भाग पुस्तकालयों, खेल और साज सामान, छात्रवृत्तियों आदि पर व्यय होता है। इससे यह

तालिका 3

विवरण	लेखे 2000– 2001	संशोधित अनुमान 2001– 2002	आय व्ययक अनुमान 2002 – 2003
कुल राजस्व व्यय	15,03,53,581	16,17,50,097	18,21,43,786
सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय	3,17,34,848	3,39,52,619	3,65,47,747
प्रतिशत	21.10%	20.99%	20.06%

सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। (तालिका 5)

सामान्य शिक्षा पर होने वाले व्यय का प्रारंभिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा विकास तथा सामान्य शिक्षा पर क्रमशः 57.9% 33.4%, 6.8 %, 0.1%, 1.1% तथा 0.7 % भाग प्रस्तावित हैं तथा पिछले तीन वर्षों से इन मदों पर होने वाले व्यय का लगभग यही अनुपात बना हुआ है। इस

प्रकार हम देखते हैं कि सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभिक व माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस प्राथमिकता से यह तो स्पष्ट है कि प्राथमिक व माध्यमिक

सामान्य शिक्षा के कई भाग होते हैं लेकिन हम अपना ध्यान सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा पर केन्द्रित करेंगे। राजस्व व्यय के अन्तर्गत तालिका 4

राजस्व व्यय के अन्तर्गत कुछ मदों में - प्राथमिक शिक्षा

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	संवेतन	रखरखाव	पुस्तकालय	सामग्री	अन्य	कुल	प्रतिशत अंश
लड़कों के उच्च प्राथमिक विद्यालय	730.2519	1.62	0.02	0.05	0.21	732.1519	72.30%
लड़कियों के उच्च प्राथमिक विद्यालय	102.8978	0.295	0.02	0.03	0.02	103.2628	10.20%
लड़कों के प्राथमिक विद्यालय	106.1829	0.4933	0.02	0.015	0.0479	106.7591	10.50%
लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय	31.7568	0.1605	0.01	0.01	0.01	31.9473	3.20%
संस्कृत विद्यालय	23.585	0.03			0.54	24.155	2.40%
सार्वजनिक पाठशाला	3.045	0.0195	0.0015	0.003	0.0015	3.0705	0.30%
लड़कों के उच्च प्राथमिक विद्यालय - लोक जुम्बिश	10.584	0.0475				10.6315	1.00%
लड़कियों के उच्च प्राथमिक विद्यालय - लोक जुम्बिश	0.3935	0.0025				0.396	0.00%
प्राथमिक विद्यालयों का संचालन	0.0697	0.0005			0.0002	0.0704	0.00%
शिशु पाठशाला	0.1092	0.0007	0.0001		0.0004	0.1104	0.00%
कुल	1008.8758	2.6695	0.0716	0.108	0.83	1012.5549	
प्रतिशत	99.60%	0.30%	0.00%	0.00%	0.10%		

शिक्षा को वरीयता दी जा रही है जो काफी सराहनीय है पर वर्तमान में राजस्थान की साक्षरता की दर (2001) 61.03 % है अर्थात् लगभग 39 % लोग आज भी निरक्षर हैं जिनमें से अधिकांश

सरकार 2108 करोड़ रुपये प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय कर रही है जबकि पिछले वर्ष बजट में प्रस्तावित अनुमान में 102 करोड़ रुपये कम व्यय किया गया जबकि पिछले ही वर्ष पूँजीगत व्यय बजट में प्रस्तावित अनुमान से एक करोड़ ज्यादा व्यय किया गया है।

तालिका 5

सामान्य शिक्षा

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2000-01 वार्साविक व्यय			2001-02 संशोधित अनुमान			2002-03 बजट अनुमान			% हिस्सा
	राजस्व	पूँजीगत	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
प्रारंभिक	1868.7698	0.4305	1869.2003	1915.4267	26.8132	1942.2399	2108.6943	24.0938	2132.7881	57.90%
माध्यमिक	1025.1478		1025.1478	1100.7542	6.0001	1106.7543	1224.5774	5.1015	1229.6789	33.40%
विश्वविद्यालय	226.7285	0.3467	227.0752	316.3277	0.46	316.7877	251.5324	0.6883	252.2207	6.80%
प्रौढ़	4.4931	0.0125	4.5056	3.7589	0.0151	3.774	3.7272		3.7272	0.10%
भाषा विकास	30.6235	- .3629	30.2606	38.1528		38.1528	41.0831		41.0831	1.10%
सामान्य	17.7221	0.0002	17.7223	20.8414		20.8414	25.1603		25.1603	0.70%
कुल	3173.4848	430464	3216.5312	3395.2617	33.2884	3428.5501	3654.7747	29.8836	3684.6583	

प्रौढ़ हैं जो पुनः प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा सकते। अतः साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार अपने बजट का केवल 0.1 % भाग प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय कर रही है। यदि सरकार को साक्षरता दर तेजी से बढ़ानी है तो एक बार पुनःप्रौढ़ शिक्षा अभियान पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

राजस्व व्यय का प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत विभाजन देखने से पता चलता है कि प्रारंभिक शिक्षा पर राजस्व व्यय के दो मुख्य भाग हैं यथा सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा पंचायत विद्यालय।

सरकार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय जो संख्या में 14141 हैं पर 1013 करोड़ रुपये व्यय करेगी जबकि पंचायत

विद्यालय जो संख्या में 27370 हैं उन पर 806 करोड़ रुपये व्यय करेगी। अराजकीय विद्यालयों को अनुदान उतना ही है जितना पिछले वर्ष था। यह कुल प्राथमिक शिक्षा का 1.5 प्रतिशत है। जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं वे सामान्यतः गरीब परिवारों से होते हैं उन पर कुल प्राथमिक शिक्षा बजट का 0.2 प्रतिशत व्यय किया जायेगा। साथ ही अन्य अलाभान्वित समूह अनुसूचित जाति हैं जिस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनजातियों पर सीमान्त रूप से ज्यादा अर्थात् 5.5 प्रतिशत व्यय हो रहा है।

चूंकि जनजातिय उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या 5.46 प्रतिशत है। अतः यह कुछ हद तक यथोचित कहा जा सकता है, यह तालिका नं. 7 से दृष्टिगोचर होता है। (तालिका 7)

तालिका 6

प्रारंभिक शिक्षा पर राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय (राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रस्तावित बजट	वास्तविक संशोधित अनुमान	बजट अनुमान व संशोधित अनुमान में अंतर
2000–01			
राजस्व		1868.8	
पूंजीगत		43	
2001–02			
राजस्व	2017	1915.4	−101.6
पूंजीगत	25.9	26.8	0.9
2002–03			
राजस्व	2108.7		
पूंजीगत	24.1		

जनजाति उपयोजना क्षेत्र

भारत के संविधान के अन्तर्गत 46 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक हितों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इनके हितों की रक्षा व इनके आर्थिक उत्थान के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। राज्य के पांच जिलों में निवास कर रही जनजातियों के कल्याण हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र का गठन केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 1974 में किया गया। इसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदि जिलों की पंचायत समितियों को लिया गया है। राजस्थान में जनजाति जनसंख्या 5474881(12.44%) है तथा जनजाति

उपयोजना क्षेत्र की 2401711 (5.46 %) है। जनजातियों पर शिक्षा के अन्तर्गत होने वाला व्यय कुल का 5 प्रतिशत है जबकि सामान्य पर 95 प्रतिशत है। राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय का तीन गुना है अर्थात् सरकार गैर विकास व्यय ज्यादा कर रही है। (तालिका 8)

तालिका 7

प्रारंभिक शिक्षा पर राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय

मद	राशि करोड़ रुपये में	प्रतिशत
निदेशन व प्रशासन	20.1	1.00%
राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय (2160+11981)	1013.7	48.10%
अराजकीय विद्यालयों को अनुदान	32.3	1.50%
पंचायत विद्यालय(27370)	806.1	38.20%
परीक्षण	24.2	1.10%
अनौपचारिक शिक्षा		0.20%
छात्रवृत्ति		0.20%
अनुसूचित जातियों को विशिष्ट सहायता		0.00%
जनजातिय उपयोजना	116.3	5.50%
अन्य व्यय	87.6	4.20%
कुल	2108.7	100.00%

तालिका 8

सामान्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र व कमांड क्षेत्र की तुलना

मद	सामान्य क्षेत्र	जनजाति क्षेत्र	कमांड क्षेत्र
विद्यालयों की संख्या	4532	357	128
शिक्षकों की संख्या	43194	2185	671
एक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या	9.53(10)	6.12 (6)	5.24(5)

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य क्षेत्र में एक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अन्य दोनों क्षेत्रों (जनजाति क्षेत्र व कमांड क्षेत्र) की तुलना में काफी ज्यादा है। माध्यमिक स्तर पर यह सरकार के

जनजाति क्षेत्र के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। दूसरी तरफ जनजाति क्षेत्रों में ऐसे ज्यादा अध्यापक होते हैं जो सामान्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम अनुभवी होते हैं।

कुल शिक्षा व्यय में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा पर होने वाला व्यय लगभग 5 प्रतिशत है, चूंकि उनका विकास अन्य की तुलना में कम हुआ है, अतः उसे देखते हुए यह तर्कसंगत नहीं है। जबकि कुल शिक्षा व्यय में तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि उसको भी सम्मिलित किया जाये तो यह अन्तर बहुत होगा। (देखिए तालिका सं. 9)

जैसा हम जानते हैं कि जनजाति क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। सरकार के नीतिगत आधारों पर यदि सारी शिक्षा पर होने वाले व्यय को देखा जाये तो हमें दूसरी ही स्थिति नजर आयेगी।

जनजाति क्षेत्र व सामान्य क्षेत्र में शिक्षा पर व्यय की तुलना

प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा में कुल व्यय में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर व्यय वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान में 5.5 प्रतिशत व अन्य पर 94.5 प्रतिशत रहा। इसमें भी योजना व्यय पिछले तीन

तालिका 9

राजस्व व्यय की तुलना

(राशि करोड रुपये में)

मद एवं वर्ष	2000-01Ac	2002-03R.E.	2000-01 Ac to 2001-002RE.		2001-02 R.E. to 2002-003BE.		% हिस्सा
			बढ़ा	प्रतिशत	बढ़ा	प्रतिशत	
शिक्षा पर व्यय	प्रतिशत	3395.3	221.8	7.00%	3654.8	259.5	7.60%
जनजाति क्षेत्र में व्यय	प्रतिशत	181.4	27.1	17.60%	188	6.6	3.60%
सामान्य क्षेत्र में व्यय	प्रतिशत	3213.9	194.7	6.40%	3466.8	252.9	7.90%
							94.90%

जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कुल शिक्षा व्यय में प्रारंभिक व प्रौढ़ शिक्षा पर होने वाला व्यय लगभग 62 प्रतिशत है जबकि राज्य की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। अतः व्यय के अनुसार उपलब्धि तर्कसंगत नहीं है। उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय मात्र 0.43 प्रतिशत है जो काफी कम है। सरकार उच्च शिक्षा व्यय के प्रति उदासीन है। (देखिए ता.सं. 10)

सालों में घटा है। जबकि केन्द्र प्रवर्तित योजना में व्यय योजना व्यय से ज्यादा रहा है जो कि राज्य सरकार की उदासीनता दर्शाता है। (तालिका 11)

माध्यमिक शिक्षा -

माध्यमिक शिक्षा में कुल व्यय में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर व्यय वर्ष 2002 - 03 के बजट अनुमान में 63.2 करोड

तालिका 10

शैक्षणिक व्यय की तुलना

शिक्षा	आ. भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो	कुल	: हिस्सा
प्राथमिक	10.498	2.0328	9.274	116.295	61.87
माध्यमिक	61.3957	0.4472	1.3315	63.1744	33.61
उच्च शिक्षा	6.7501	0.0272		6.7773	3.61
प्रौढ़ शिक्षा	0.1645	0.147		0.3115	0.17
भाषा विकास	0.802			0.802	0.43
सामान्य	0.2271		0.3844	0.6115	0.33
कुल (शिक्षा)	174.3274	2.6542	10.99	187.972	100
% हिस्सा	92.70%	1.40%	5.80%	100.00%	

(5.16 प्रतिशत) तथा सामान्य पर 1161.4 करोड़ रुपये (94.84 प्रतिशत) है तथा कुल व्यय 1224.6 करोड़ प्रस्तावित किया गया है जबकि जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर व्यय में केन्द्र प्रवर्तित योजना का भाग ज्यादा है व योजना व्यय का भाग काफी कम है। यह माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।

तो वेतन पर ही हो जाता है।

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जनजाती क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है तो राज्य के मूल बजट से जनजाती क्षेत्र में शिक्षा के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। जैसा ऊपर बताया गया है

तालिका 11

शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

शिक्षा क्षेत्र	2000–01 वास्तविक व्यय		2001–02 संशोधित अनुमान		2002–03 बजट अनुमान	
	राशि	प्रतिशत अंश	राशि	प्रतिशत अंश	राशि	प्रतिशत अंश
ज.जा.उपयोजना क्षेत्र	96.7	5.3	113.3	5.9	116.2	5.5
सामान्य	1771.9	94.7	1802	94.1	2086.8	94.5
कुल	1868.6		1915.3		2203	

उच्च शिक्षा -

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए उच्च शिक्षा पर व्यय वर्ष 2000-01 के वास्तविक बजट में 6.82 करोड़ से 2001-02 के संशोधित अनुमान में 7.89 करोड़ रुपया हुआ व 2002-03 के बजट अनुमान में 6.77 करोड़ प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के भी जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर 3 प्रतिशत व सामान्य पर 97 प्रतिशत व्यय हो रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा -

वर्ष 2000-01 के वास्तविक में 0.12 करोड़ से 2001-02 के संशोधित में 0.19 करोड़ हुआ तथा 2002-03 के बजट अनुमान में 0.31 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत जनजाती क्षेत्र उपयोजना पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 8.36 प्रतिशत है जबकि अन्य पर 91.64 प्रतिशत है।

शिक्षा में वेतन व रखरखाव पर खर्च -

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में शिक्षा के अन्तर्गत वेतन पर होने वाला व्यय 72 प्रतिशत है। पिछले तीन सालों में इसकी यही प्रकृति रही है तथा स्थापना पर व्यय 0.4 प्रतिशत है। अतः सरकार द्वारा जनजाती के लिए शिक्षा पर 57 प्रतिशत व्यय करने पर भी साक्षरता की दर इसलिए कम है क्योंकि 72 प्रतिशत व्यय

प्रारंभिक शिक्षा में पूरे बजट का 5.5 प्रतिशत खर्च किया जाता है जबकि माध्यमिक शिक्षा में इस वर्ष 63.2 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा जो कि कुल व्यय का 5.2 प्रतिशत है, इसी प्रकार यदि उच्च शिक्षा के बारे में सोचा जाये तो यह 3 प्रतिशत ही है। प्रौढ़ शिक्षा में तो यह और भी कम है। इस प्रकार सरकार को यह तो एक नीतिगत निर्णय लेना ही होगा कि इन क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति विशेष प्रयत्नों को ध्यान में रखकर अधिक व्यय करने की आवश्यकता है।

ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष योजनाएँ नहीं चलायी गयी हैं, सारणी संख्या 12 में इन योजनाओं के बारे में दिया जा रहा है जो समस्या को देखते हुए बहुत ही कम हैं।

राजस्थान में शिक्षा की जमीनी स्थितियां

उपरोक्त तीनों भागों में हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि सरकार के अपने स्वयं के क्या वादे रहे हैं और इनसे जुड़े हुए क्या प्रयास किए हैं, सरकार का बजट सरकार के वादों को स्पष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परन्तु सरकार के इन प्रयत्नों का आखिर जमीनी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको भी समझने की आवश्यकता है। इसी के आधार पर हम नई दिशा को खोज सकते हैं। जमीनी स्थिति को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जो इन स्थितियों पर गहराई से प्रकाश डालते हैं।

तालिका 12

शिक्षा से संबंधित योजना								
अनुसूचित क्षेत्र के लिए योजनाओं का विवरण (2001–02 में स्वीकृत व वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित)								
	वित्तीय आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय माह फरवरी	भौतिक प्रगति 2001 – 02				प्रस्तावित प्रावधान 2002–03
				मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि फरवरी 02 तक	
	2001–2	2001–2	2002 तक					
शैक्षिक उत्प्रेरक								
छात्र गृह योजना	48.9	48.9	35.01	छात्र	संख्या	3260	3267	75.15
फीस का पुनर्मरण	0	0	0	छात्र	संख्या	0	0	6.03
प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति	12	4.64	7.51	छात्र	संख्या	480	291	12.8
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को आर्थिक सहयोग	13.2	13.2	15.49	छात्र	संख्या	528	942	24.8
खेल छात्रावास का संचालन	18.67	10	14.31	छात्र	संख्या	100	100	14.72
छात्रावासों का संचालन				छात्र	संख्या			
संचालन व्यय	1136.9	902.4	715.17	छात्र	संख्या	8430	7746	587.19
आश्रम छात्रावास के छात्रों हेतु पुस्तकें	8.43	5.56	5.84	छात्र	संख्या	6740	6689	9.15
छात्रावास के छात्रों हेतु पुस्तकें				छात्र	संख्या			28.95
छात्रावास हेतु साज सामान व बर्तन	6.42	6.42	4.16	छात्र	संख्या			0
कम्प्यूटर शिक्षा हेतु जागरण	0.2			छात्र	संख्या			
आश्रम छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता	3		0.14	प्रतियोगिता	संख्या			1.72
छात्रावासों का निरिक्षण	1.6	2.87	0	छात्र	संख्या			2
आवासीय विद्यालयों का संचालन				छात्र	संख्या			71.75
आश्रम छात्रावासों का रखरखाव	0.01	0	0					0

आस्था संस्थान उदयपुर द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की आर्थिक नीतियों का गरीबों पर प्रभाव देखने का प्रयास किया गया। यह अध्ययन 600 परिवारों के साथ 1996 में प्रारंभ किया गया और 1999 तक चला। इन परिवारों से आय रोजगार, स्वास्थ्य एवं बच्चों की शिक्षा के बारे में भी पूछा गया। इस अध्ययन से जो कुछ विशेष बातें सामने आयी हैं वे इस प्रकार हैं-

1. इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी के स्तर और निम्न साक्षरता में एक सह-संबंध है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अगर हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस संबंध को ध्यान में रखते हुए लोगों को जीविका के इतने साधन तो उपलब्ध कराने होंगे जिनसे वह अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व दें।

2. अध्ययन में बाल मजदूरी के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है जो यह बताता है कि हम बाल मजदूर बच्चों के लिए चाहे पृथक स्कूल प्रारंभ कर लें परन्तु इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं है। आर्थिक स्थिति में बाल मजदूरी कोई विशेष प्रकार की मदद नहीं करती है। इसलिए परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर ही शिक्षा के स्तर में प्रभाव पड़ेगा।

3. इस अध्ययन से यह भी सामने आया है कि आर्थिक सुधार काल में गरीबों के लिए शिक्षा के अवसर कम हुए हैं और अकुशल मजदूरों की तरह काम करने के सिवा उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण एवं कुशलता के अवसर नहीं मिले हैं। इसके लिए साक्षरता के कार्यक्रमों में जीविका से जुड़े संसाधनों के विकास के लिए प्रशिक्षण देने एवं उनसे तैयार हुए कुशल मजदूरों को स्वयं रोजगार चलाने का अवसर भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

प्रथम वर्ष में अध्ययन क्षेत्रों में 6 + की आयु समूह में साक्षरता दर (प्रतिशत)

	जयपुर	पाली	चित्तोड़	राज समन्वय	कोटा	बाड़मेर	झाला वाड़	अलवर	उदयपुर
व्यक्ति	77-21	45.15	40.54	40	39.06	38.76	32.76	29.96	11.65
पुरुष	85-44	66.91	58.57	62.04	50.39	54.36	51.68	47.4	20.59
महिला	67.65	22.73	19.33	14.41	27.91	20.83	12.77	3.88	2.31

6-14 वर्ष की आयु समूह के स्कूल जाने वाले बच्चों का विवरण

विवरण	द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष		
	बालक	बालिकायें	कुल	बालक	बालिकायें	कुल
6-14 वर्ष के कुल बच्चे	353	280	633	321	264	585
6-14 वर्ष के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे तथा उनका प्रतिशत	207	110	317	198	115	313
	-58.60%	-39.30%	-50%	-61.70%	-43.60%	-53.50%

6-14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के प्रतिशत में, दूसरे वर्ष की अपेक्षा तीसरे वर्ष मामूली वृद्धि हुई थी। दूसरे वर्ष इस आयु समूह के 50 प्रतिशत बच्चे स्कूल में थे जबकि तीसरे वर्ष 53.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे थे। तीसरे वर्ष में भी 6 से 14 वर्ष के 40 प्रतिशत लड़के तथा 55 प्रतिशत लड़कियां स्कूल से बाहर थीं।

उदयपुर से केवल 17 प्रतिशत, बाड़मेर से 40 प्रतिशत तथा राजसंमद से 47 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जा रहे थे।

हमने अध्ययन में बाल मजबूरी के आंकड़ों पर भी दृष्टि डाली है। प्रतिशत रूप में, अध्ययन के दूसरे वर्ष में 15 वर्ष से कम आयु के केवल 8.37 प्रतिशत बच्चे (10.48 प्रतिशत लड़के तथा 5.17 प्रतिशत लड़कियां) तथा तीसरे वर्ष में 8 प्रतिशत बच्चे (7.47 प्रतिशत लड़के तथा 8.71 प्रतिशत लड़कियां) काम कर रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 से 14 वर्ष आयु के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे न तो काम करते थे ना ही स्कूल जा रहे थे। काम करने वाले बच्चे मुख्यतः उदयपुर व अलवर (ग्रामीण आदिवासी बच्चे) कोटा एवं जयपुर (शहरी बच्चे) तथा झालावाड़ (किसान परिवारों के बच्चे) के चुने गये परिवारों से थे।

स्कूल छोड़ने के तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं। पहले वर्ष के 65 बच्चों (47 लड़के तथा 18 लड़कियां) के मुकाबले दूसरे वर्ष 40 बच्चे (28 लड़के 12 लड़कियां) थे। तीसरे वर्ष अध्ययन में शामिल परिवारों की संख्या कम होने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी थी। अंतिम वर्ष में बढ़ी गरीबी अधिक बच्चों के स्कूल छोड़ने का कारण हो सकती है।

पहले वर्ष स्कूल छोड़ने के 57 मामलों में परिवारों द्वारा बताये गये कारण हमें मालूम हैं। इनमें से 23 (50 प्रतिशत) मामलों में बच्चों ने स्कूल अर्थक्रम मजबूरियों जैसे पढ़ाई के लिए पैसा न होना, काम करना शुरू कर देना, आदि कारणों से छोड़ा था। इसके अलावा पढ़ाई में रुचि नहीं होना तथा गांव में स्कूल नहीं होना भी बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण बने थे।

अध्ययन के सभी क्षेत्रों में साक्षरता संबंधी निराशाजनक स्थिति का कुछ संबंध स्कूलों में शिक्षकों के पदों से भी है। प्रत्येक वर्ष हमने चुने गये परिवारों के गांवों तथा शहरी मोहल्लों के स्कूलों का सर्वेक्षण किया था। पहले वर्ष कुल 26 स्कूलों से सूचनाएं प्राप्त

की गयी थीं जिनमें से आधे स्कूलों में शिक्षकों का कम से कम एक पद रिक्त था। दूसरे वर्ष भी 22 स्कूलों में से 13 में तथा तीसरे वर्ष 21 स्कूलों में से 12 में शिक्षकों के कम से कम एक पद रिक्त थे। कुछ क्षेत्रों में जहां स्कूल उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के थे वहां गैर शिक्षक पद भी रिक्त थे।

आर्थिक सुधार काल में गरीबों के लिए शिक्षा के अवसर कम हुए हैं और अकुशल मजदूरों की तरह काम करने के सिवा उन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण देने या उनकी कुशलता बढ़ाने के किसी प्रयास की सूचना अध्ययन क्षेत्रों में कहीं से नहीं मिली। शिक्षा राजस्थान के गरीबों के लिए एक संघर्ष बना हुआ है।

(जमीनी हक्कीकत-वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का राजस्थान के गरीबों पर प्रभाव, त्रिवर्षीय शोध अध्ययन सारांश रिपोर्ट, अप्रैल 2001 आस्था संस्थान, उदयपुर।)

आदिवासी विकास मंच, कोटडा (जिला उदयपुर) आदिवासियों का एक संगठन है जिसने शिक्षा की स्थिति को सरकार को प्रेक्षित करने के लिए एक शिक्षा जन अधिकार चेतना पद यात्रा कार्यक्रम 21 जुलाई से 5 अगस्त 2002 तक आयोजित किया। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि सरकार द्वारा इससे पूर्व शिक्षा दर्पण नाम से एक सर्वेक्षण किया गया था जो आदिवासियों की दृष्टि से स्थिति को पूरी तरह से प्रेक्षित नहीं करता था। पद यात्रा का मूल विवरण इस प्रकार है।

पदयात्रा के माध्यम से पदयात्रियों ने हर गांव/झांणी में जाकर 6 से 14 वर्ष तक के बालक/बालिकाओं से एवं उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर सभाओं का आयोजन किया। इन सभाओं एवं बैठकों के दौरान पदयात्रियों ने स्थानीय भाषा में गीत/नारे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक़ड़ नाटक, कठपुतली शो आदि के माध्यम से बच्चों एवं महिला/पुरुषों को प्रेरित कर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 के आधार पर यहां 14291 बालक/बालिका शिक्षा से वंचित थे। ग्राफ को नीचे लाने का प्रयास किया गया। कोटडा क्षेत्र में अभी तक शिक्षा की व्यवस्था हेतु कई प्रयास किये गये हैं लेकिन इस क्षेत्र में गांव काफी बड़े बड़े हैं एवं बिखरी हुई आबादी और दूर दूर घर होने की वजह से सभी बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पाये हैं, और दूसरी यह कमजोरी है कि सरकार ने भी अध्यापकों पर निगरानी नहीं रखी। इस क्षेत्र में बाहरी अध्यापकों का आना जाना

ही रहता है एवं अक्सर विद्यालय बन्द रहते हैं। सप्ताह में 3 दिन 2 घण्टे चलने वाले विद्यालयों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि ये सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकते हैं और ना ही बालक/बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सकता है। अध्यापक सप्ताह में 3 दिन विद्यालय खोलते हैं, वह भी 9 से 12 बजे तक हाजरी भर कर बच्चों एवं गांव के लोगों को कह देते हैं कि मैं कोटडा बैठक में जा रहा हूँ। कार्यक्रम के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- 35 विद्यालयों में अनियमित अध्यापकों की संख्या - 49
- कई विद्यालय, जो दूर दराज में हैं, प्रातः 9 से 11 बजे तक सप्ताह में मात्र 3 बार ही खुलते हैं (इसका लिखित पत्र उपखण्ड अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्व में प्रेषित किया गया है।)

- जर्जर विद्यालय भवन - 42

(इन विद्यालयों में स्वयं अध्यापक व बालक बालिकाएं बैठते हुए डरते हैं, इस कारण भवन के बाहर या पड़ोस के कच्चे घरों में विद्यालय चला रहे हैं।)

- बेराफली, रापराखेत, बड़ला, सुरा, मणासी, जाडीरोयण और राया आदि विद्यालयों की छत आज दिनांक तक नहीं बनी, जबकि इनका निर्माण हुए लगभग पांच वर्ष हो गये हैं।
- टेपुर, लोहारी व तिलरवा के विद्यालय भवन तो बिल्कुल खण्डहर स्थिति में हैं।
- 47 गांवों में 2398 बालक बालिकाएं शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं तथा इन गांवों के आस-पास 2 किलोमीटर की दूरी में कोई विद्यालय नहीं है।
- शिक्षा आपके द्वारा अभियान के तहत सरकारी सर्वे के अनुसार 14291 बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित बताये गये हैं जबकि सभी गांवों का शाला मानचित्रण किया जाय तो यह आंकड़ा 20 हजार से अधिक होगा।
- पदयात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान सभी गांवों में ग्राम शिक्षा कमेटियों का गठन किया है तथा 1009 बालक व 856 बालिकाओं, कुल 1865 का नामांकन मौजूदा।

उपलब्ध शिक्षा केन्द्रों पर किया गया है।

- बच्चों के विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करवाने एवं शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु हर गांव में कमेटी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई कि वह अध्यापकों के साथ मासिक बैठक कर हर माह मूल्यांकन करें एवं जो भी समस्या आये उसका निराकरण करें और अध्यापकों के ठहराव भी गांव कमेटी के सदस्य नजर रखें।

(आदिवासी विकास मंच कोटडा, शिक्षा जन अधिकार चेतना पदयात्रा कार्यक्रम, 21 जुलाई से 5 अगस्त 2002)

उपरोक्त पदयात्रा से यह पूरी तरह से सामने आता है कि सरकार की ओर से विद्यालय तो हैं परन्तु उनका नियमित संचालन नहीं हो रहा है। शिक्षक की भूमिका पर यहां एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

इसी प्रकार विद्यालयों के भवनों की भी स्थिति दयनीय है जहां बालक व बालिकाएं किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं हैं।

बालक बालिकाओं का शिक्षा से वंचित होना तो स्पष्ट रूप से सामने आता है जिसके बहुत से कारण ऊपर वाले अध्ययन से मिलते जुलते हैं। राजस्थान सरकार ने ऐसे ही क्षेत्रों के लिए शिक्षाकर्मी एवं लोकजुम्बिश परियोजनाओं को लागू भी किया और इन योजनाओं का काफी फर्क भी पड़ा है। इन दोनों ही योजनाओं के मूल में अध्यापकों की अनुपस्थिति और बच्चों का स्कूलों में नहीं आना एक विशेष समस्या रही है। इसी के साथ लोकजुम्बिश परियोजना में तो जहां स्कूल है वहां के लोगों को विभिन्न रूप से जोड़ने की पहल भी की गई है। इन दोनों ही कार्यक्रमों से इन क्षेत्रों में फर्क पड़ा है। इन योजनाओं में एक मूल आधार यह भी रहा है कि स्थानीय संदर्भों को समझकर कार्यक्रम लिए जायें जिनमें सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखा जाये।

राजस्थान सरकार ने उपरोक्त दोनों ही योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं का भी प्रारंभ किया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से स्कूल खोले गये परन्तु जिस तेजी से स्कूलों को खोला गया उसी के साथ उन क्षेत्रों में वहां के रहने वाले लोगों की तैयारी नहीं की गई जिसके कारण स्कूल की पहुंच तो बढ़ी पर इस पहुंच से स्कूलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा।

‘शिक्षा-विमर्श’ पत्रिका के अगस्त-सितम्बर 2002 के अंक में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला की एक केस स्टडी सांगानेर की एक ग्राम पंचायत में चल रही पाठशाला की है। यह स्टडी सांगानेर की एक ग्राम पंचायत में चल रही पाठशाला में राजपूतों एवं बैरवाओं के बच्चे पढ़ते हैं, पाठशाला के शिक्षक एवं स्कूल के भवन की स्थिति ठीक ठीक बतायी गयी है। और पाठशाला के सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर कई प्रश्न उठाए गए हैं। केस स्टडी से यह पता चलता है कि बच्चों के नामांकन में निरन्तर गिरावट आई है और कक्षा में इस समय केवल दस बच्चे रह गये हैं। दूसरी कक्षाओं में भी बच्चों की संख्या दस से कम है। इस में यह भी बताया है कि बच्चों को कापियां, बस्ते और अन्य सामग्री स्वयं खरीदनी पड़ती है। जो पांचवीं कक्षा में पहुंच रहे हैं, उनकी परीक्षा भी दूसरे विद्यालय में होगी।

इस विद्यालय में जुलाई 2002 से पूर्व राजपूत तथा बैरवा दोनों जातियों के बच्चे आ रहे थे परन्तु जुलाई 2002 से राजपूत बच्चों ने आना बंद कर दिया। इनका ना आना धूधरी वितरण से जुड़ा हुआ है, दरअसल धूधरी पकाने वाली महिला बैरवा जाति की है इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को हटा कर अन्य विद्यालयों में भेजना शुरू कर दिया है। इस धूधरी प्रकरण से पाठशाला तथा समुदाय के संगठन में कटुता आ गयी है। गांव वाले यहां तक चाहते हैं कि स्कूल बंद कर दिया जाये और यहां अस्पताल बना दिया जाये। बाकी केस स्टडी यह भी बताती है कि जाति भेद की यह घटना ये उजागर करती है कि हमारे स्कूलों के सामाजिक संदर्भों को समझना भी एक आवश्यकता है।

उपरोक्त तीनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा काफी प्रयत्न नीतिगत स्तर पर तो किए जा रहे हैं परन्तु उनकी क्रियान्विति में काफी अन्तर है। इन तीनों ही उपरोक्त स्थितियों से ये भी सामने आया है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता के प्रश्न पर जहां एक और शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है वहां पर शिक्षा को विभिन्न समुदायों के साथ उनकी सहभागिता के आधार पर चलाने की भी आवश्यकता होती है। एक बात और भी स्पष्ट होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां विभिन्न प्रकार के सामाजिक समुदाय रहते हैं वहां पर परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा के कार्यक्रमों को और अधिक विकेन्द्रित करने की आवश्यकता है।

इस विकेन्द्रिकरण के मूल में परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्थाओं को जुटाने की आवश्यकता है। नीचे एक मिसाल दी जा रही है जिससे यह बात और अधिक स्पष्ट होगी।

दक्षिणी राजस्थान में कोटडा एक ऐसा क्षेत्र है जो आदिवासी क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा माना जाता है। यहां पर साक्षरता का प्रतिशत उदयपुर की सभी पंचायतों में सबसे कम है। लड़कियों की शिक्षा का स्तर तो बहुत ही गिरा हुआ है। पिछले अगस्त में यहां पर लोकजुम्बिश योजना के अन्दर एक बालिका शिविर की आयोजना की गयी, आयोजना के समय शाला मानचित्रण के आधार पर बालिकाओं की पहचान की गई। बालिका शिविर के शुरू करने से पूर्व वहां अभिभावकों को बालिकाओं के साथ निमंत्रित किया गया, कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 100 बालिकाओं को ही लेना था परन्तु साक्षात्कार के दौरान 300 अभिभावक अपनी बच्चियों को लेकर आए यह अपने में काफी आश्चर्यजनक घटना थी क्योंकि पिछली बार जब यही कार्यक्रम आयोजित होने वाला था तो इसके अन्तर्गत केवल 80 अभिभावक पहुंचे थे। 8-9 महीनों में ही इतना परिवर्तन कैसे हो गया यह समझने की आवश्यकता है। एक तो यह कारण है कि इस शिविर के पूर्व शिक्षा आपके द्वारा एवं आदिवासी विकास मंच की शिक्षा जन अधिकार चेतना पदयात्रा जैसे कार्यक्रम हुए जिसके अन्तर्गत विभिन्न परिवारों से सीधा संपर्क बनाया गया और शिक्षा की महत्ता को बताया गया। साथ ही यह समय अकाल का है और बालिका शिविर में बच्चियों को आवासीय व्यवस्था होने के कारण गांव वालों ने यह सोचा हो कि वे इस तरह अकाल की चुनौती को झेल सकते हैं। वहां का नेतृत्व भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा और उन्होंने भी अभिभावकों को समझाने की कोशिश की। इन्हीं कारणों से ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में बालिकाएं शिक्षा लेने के लिए राजी हुईं। अभी पिछले महीने में जिला कलेक्टर व कमिशनर दोनों ने ही शिविर का अवलोकन किया और पाया कि बालिकायें काफी तेजी से सीख रही हैं।

उपरोक्त बालिका शिविर की मिसाल यह स्पष्ट करती है कि लोगों की भागीदारी एवं सामाजिक संदर्भ दोनों ही शिक्षा के लिए आवश्यक हैं और कोटडा जैसे क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार के विशेष प्रयत्नों पर सोचने की आवश्यकता है। हम केवल मुख्य धारा में चल रही व्यवस्था के आधार पर जनजाति क्षेत्रों में अधिक सफलता नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों को समझ कर शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।

आगे की दिशाएं

राजस्थान में शिक्षा को सामाजिक सुरक्षा के एक आधार की तरह समझ कर ही इसे नई दिशा दे सकते हैं। अभी तक यह माना जाता रहा है कि शिक्षा एक प्रकार का भावी विनियोग है जबकि आज के संदर्भ में शिक्षा को केवल आर्थिक विनियोग की दृष्टि से ना देख कर सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही संदर्भों में देखने की आवश्यकता है। राज्य द्वारा शिक्षा को विभिन्न समाजों के दृष्टिकोण से देखना होगा। इसलिए शिक्षा को विकेन्द्रित रूप में वहां के संसाधनों के विकास के आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं शिक्षा वहीं विकसित नहीं हुई है जहां गरीबी है और गरीबी को दूर करने के लिए संसाधनों का विकास एक मूल आधार है। इसलिए शिक्षा को इस नयी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा में यह विनियोग व्यापक दृष्टि से हो पाये।

जैसा आरंभ में बताया गया है सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में प्रावधान तो किए हैं परन्तु यह प्रावधान अभी भी काफी नहीं है क्योंकि राजस्थान की आधी महिला जनसंख्या को साक्षर करना है। इसी के साथ लड़कियों की शिक्षा को भी विशेष रूप से आगे बढ़ाना है। बजट में यह भी पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि हमारा अधिकतम व्यय अध्यापकों के वेतन पर जा रहा है जो गुणवत्ता के लिए प्रश्न उठाता है इसलिए इस विषय पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

सरकार ने अपनी प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं पर उसको प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लिए भी अधिक विनियोग करना होगा इसी के आधार पर हम महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। यहां पर साक्षरता शिक्षा के स्वरूप को जीविका के संसाधनों से जोड़ना होगा। इसके दो फायदे हो सकते हैं, पहला तो हम आर्थिक रूप से संसाधनों को विकसित करेंगे और दूसरा महिलाओं की भागीदारी साक्षरता में बढ़ाएंगे। महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दे जैसे महिला अत्याचार एवं कई सामाजिक कुरीतियां भी इसका पाठ्यक्रम बन सकती हैं। यह केवल सिखाने तक ही सीमित ना हो अपितु महिलाओं के संगठनों का रूप ले जिससे वह अपनी समस्याओं के समाधान अपने स्तर पर करने में सक्षम हों। सरकार ने अभी स्वयं सहायता समूहों को काफी प्राथमिकता से लिया है। ये समूह केवल आर्थिक रूप से ही महिलाओं को मदद करें यह काफी नहीं है। इन केन्द्रों को महिलाओं के एकीकृत विकास के लक्ष्य को लेकर चलना होगा।

जनजाति क्षेत्रों में भी सरकार की ओर से बजट में शिक्षा के लिए अधिक प्रावधान होना चाहिए, साथ ही उच्च शिक्षा को भी

वरीयता में लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जनजाति क्षेत्रों में आदिवासियों की क्षमता में बृद्धि नहीं कर पायेंगे और वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी नहीं निभा पायेंगे। जहां तक साक्षरता का प्रश्न है यहां स्त्री और पुरुष दोनों की साक्षरता को बढ़ाना होगा, इसके लिए सरकार को कुछ बुनियादी कदम भी उठाने होंगे। लेखक का यह मानना है कि आज जनजाति के लोगों के पास जो अपने संसाधन हैं वे उनसे छिनते चले जा रहे हैं, उनकी निरक्षरता के कारण उनके हाथों में से उनके जंगल, जमीन, पानी खनन से जुड़े धातु निकले चले जा रहे हैं। साक्षरता को केवल अध्यार ज्ञान तक सीमित नहीं करके इन संसाधनों को विकसित करना चाहिए जिससे यह जीविका के साधन बन सकें एवं इनका दोहन पर्यावरण आधारित हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार को विशेष कानून बनाने होंगे जो इन संसाधनों को सुरक्षित कर सकें एवं संसाधनों के विकास के लिए आदिवासियों को विभिन्न अवसर प्रदान कर सकें साथ ही जमीन सुधार के कानून में भी बदलाव करने होंगे। इस प्रकार ही शिक्षा जनजाति जैसे क्षेत्रों को विकसित करने में मदद दे सकती है।

पिछडे क्षेत्रों में शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है, जैसी ऊपर बालिका शिविर की मिसाल है। जनजाति क्षेत्र में आश्रम छात्रावास तो बने पर गुजरात की तरह आश्रम स्कूल व्यवस्था नहीं हुई, इस प्रकार के प्रयत्न भी करने होंगे। इस तरह के प्रयत्न में भौगोलिक स्थिति, लोगों की भागीदारी, सामाजिक संदर्भ आदि को ध्यान में रखकर किए जाएंगे तो अधिक सफलता मिलेगी।

संदर्भ सामग्री

1. Rajasthan Human Development Report - 2002
2. Budget 2002-2003
3. बी. ए. आर. सी दस्तावेज “सामान्य शिक्षा” 2002
4. जमीनी हकीकत : वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का राजस्थान के गरीबों पर प्रभाव - तीन वर्षीय शोध अध्ययन - सारांश रिपोर्ट, अप्रैल 2001,आस्था संस्थान, उदयपुर।
5. आदिवासी विकास मंच दस्तावेज, शिक्षा जन अधिकार चेतना पदयात्रा कार्यक्रम 21 जुलाई से 5 अगस्त 2002, आदिवासी विकास मंच, कोटडा, जिला उदयपुर।
6. शिक्षा विमर्श/जून जुलाई, 2002 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला - एक प्रसंग अजय गुप्ता पृष्ठ 32 से 36. ◆